	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible].20	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 20/10/20 को पेश हो। [illegible]डर [illegible] अधिकारी माण्डल	
20/10	पत्रावली पेश हुई, अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 27/10 को पेश हो।	
27/10	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। [illegible] / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 17.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
17/11/20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 24.11.20 को पेश हो। गेंडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
२४।११।२०	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षी सं. २, ३ के सम्मन बाद तामिल होकर पूर्व में प्राप्त हो चुके हैं। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. १ के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी सं. २, ३ को कितनी मर्तबा आवाजें दिलायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। पटवार हल्का पटवारी चारखेड़ा द्वारा विवादित आराजी की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा० प० किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	प्रति सं० १ के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हैं। [signature] २४/११/२०२०

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.09 11:29:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 152/19 प्रा०पत्र

श्री लोकेश s/o श्री मुवालाल खरोल निवासी–लुहारिया त० माण्डल

–प्रार्थी

वनाम

– श्री रतन s/o श्री देबी बैरवा निवासी–चांरोड तहसील–माण्डल [व अन्य]
(प्रतिवादीगण प्रा०पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 24.11.2020

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......चारोड......पटवार हल्का......चारोड......तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 2135/870......कुल किता......01......रकबा......0.2......बीघा......–......विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संवंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2019......को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह वात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक को न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......चारोड......पटवार हल्का......चारोड......तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2135/870......कुल किता......01......रकबा......02......बीघा......–......विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक–चांदरास......3.00/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा [illegible] नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.12.09 11:29:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner